2340363
2201507

कुलसचिव
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

> इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक 3552 /सम्बद्धता/2009–10
दिनांक 4/12/2010

प्रेषक,
किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
पैकौली हाटा,
कुशीनगर।

विषय– **किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पैंकौली हाटा, कुशीनगर को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र एवं भूगोल विषयों में सम्बद्धता (स्थायी) के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–2789/सत्तर–6–2010–2(504)/2010 दिनांक 30 अगस्त, 2010 द्वारा किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पैकौली हाटा, कुशीनगर को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र एवं भूगोल विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2009–10 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2010 से शैक्षणिक सत्र 2010–11 हेतु शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है।

उक्त पत्र में अंकित शर्त संख्या–1 के अनुपालन में महाविद्यालय के उक्त विषयों का सत्र 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 का परीक्षाफल महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया गया हैं, जो 60 प्रतिशत से अधिक है तथा परीक्षा नियंत्रक से प्रमाणित है एवं स्थायी सम्बद्धता के मानक के अनुकूल है।

उपरोक्त शासन के पत्र में अंकित शर्त संख्या–1 में निर्दिष्ट आदेश के अनुपालन में **किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पैकौली हाटा, कुशीनगर** को **स्नातकोत्तर स्तर पर कला** संकाय के अन्तर्गत **समाजशास्त्र एवं भूगोल** विषयों में माननीय कुलपति ने **उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम**, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय एवं संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा – 37(2) के अधीन दिनांक 01.07.2010 से शासन के पत्र संख्या–1569 / सत्तर –6 – 2– 2010 – 2(217)/2010 दिनांक 27 जुलाई, 2010 में निहित निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता (स्थायी) की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :–

1. संस्था शासनादेश संख्या–2651/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

04/12

कुलसचिव,

पृष्ठांकन संख्या................./तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. इन्द्र देव पटेल, अनुसचिव, (उच्च शिक्षा) उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
4. निजी सचिव, मंत्री उच्च शिक्षा।
5. विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र एवं भूगोल विभाग, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।
6. सहायक कुलसचिव परीक्षा सामान्य, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।
7. सचिव कुलपति, कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव।

11/12/10

कुलसचिव,